TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 4TH JANUARY, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 4th January, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 206(E) dated the 17th March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12 Construction, furnishing and equipments of Primary health Centre at Kufri, Himachal Pradesh by PHD Rural Development Foundation, Opposite to Asian Games Village, New Delhi-110016, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-98.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction, furnishing and equipments of Primary health Centre at Kufri, Himachal Pradesh, which is being carried out by PHD Rural Development Foundation, Opposite to Asian Games Village, New Delhi-110016, at the estimated cost of rupees thirty two lakhs forty thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of two years beginning with assessment year 2000-2001.

(POMELA B. PRASAD)
Director(National Committee)

No. 11196

F.No. NC-136/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II ,खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 4 जनवरी, 2000 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी, 2000.

अधिसूचना

सां0 आ0...... (अ0) जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 1997 को जारी अधिसूचना सं0 सां0 आ0 206 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं0 12 पर पी0एच0डी0 रूरल डेवलेपमेंट फान्डेशन,एशियाई खेल गांव के सामने ,नई दिल्ली 110016 द्वारा कुफरी, हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण साजसज्जा एवं उपकरण को कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरंभ होने वाले अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था ।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है,.

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी ;

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पी0एच0डी0 रूरल डेवलेपमेंट फान्डेशन, एशियाई खेल गांव के सामने, नई दिल्ली 110016 द्वारा कुफरी, हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण, साजसज्जा तथा उपकरण की स्कीम अथवा परियोजना को एक पात्र स्कीम अथवा परियोजना के रूप में कुल बत्तीस लाख चालीस हजार रूपये की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के संबंध में और दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(पोमिला बी0 प्रसाद)
निदेशक (रा0स0)